प्रेस विज्ञप्ति

24.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड (टीआईएल) और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में जा जांच रही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 48.71 करोड़ रुपये मूल्य के भूखंड और आवासीय परिसर के रूप में अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने एसीबी, सीबीआई, हैदराबाद द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। टीआईएल ने बैंकों के एक संघ से ऋण और ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं लेकिन प्राप्त उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया। कंपनी द्वारा लगातार अनियमितताओं, साख पत्रों (एलसी) के लगातार हस्तांतरण, कार्यशील पूंजी सीमाओं पर ब्याज का भुगतान न करने और बैंकों के माध्यम से परिचालन के गैर-मार्ग के कारण ये ऋण खाते एनपीए में बदल गए। उधार ली गई राशि को समूह की कंपनियों, मुखौटा कंपनियों, प्रवर्तकों/निदेशकों के स्वामित्व/नियंत्रण वाली इकाइयों और कई असंबंधित इकाइयों में भेज दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि टीआईएल और इसके निदेशकों/प्रवर्तकों ने अपनी स्वयं की संबद्ध संस्थाओं और मुखौटा संस्थाओं के साथ फर्जी बिक्री और खरीद लेनदेन की मदद से फर्जी उच्च कारोबार दिखाकर, समय-समय पर क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और समायोजित एलसी खोलकर धोखाधड़ी से निधियों का विपथन किया, जिसके परिणामस्वरूप एलसी का हस्तांतरण हुआ। और बैंकों के कंसोर्टियम को 5115 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) की सीमा तक नुकसान पहुंचाया। जांच से पता चला कि टीआईएल के निदेशकों/प्रवर्तकों ने कई मुखौटा संस्थाएं बनाई और अपने कर्मचारियों को ऐसी संस्थाओं में हमनाम/डमी निदेशक के रूप में नियुक्त किया, जिनका उपयोग अपराध की आय के विपथन और लेयरिंग के लिए किया जाता था। यह भी पता चला कि एलएमवी/2 पहिया वाहनों की श्रेणी के वाहनों को फर्जी चालान में टन में स्टील के परिवहन के लिए परिवहन वाहनों के रूप में दर्शाया गया था।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि टीआईएल और संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों से लगभग 85.90 करोड़ रुपये नकद निकाले गए थे और इसका उपयोग इसके प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। यह भी पता चला कि अपराध की आय से अर्जित अचल संपत्तियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनकी कुर्की को रोकने के इरादे से परिवार के सदस्यों को उपहार में दिया गया और हस्तांतरित किया गया।

कुर्क की गई संपत्तियों में निदेशक द्वारा उपहार में दी गई और अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित भूमि पार्सल के साथ-साथ प्रवेश प्रदाता के आवासीय परिसर शामिल हैं जो कमीशन के आधार पर निधियों के विपथन में शामिल थे।

आगे की जांच जारी है